

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 2018/माघ 11, 1939

No. 411]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 2018/MAGHA 11, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2018

**का.आ. 480(अ).**—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

### प्रारूप अधिसूचना

जय प्रकाश नारायण (सूरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में जिला मुख्यालय, बलिया से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सूरहा ताल झील पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सबसे बड़ा बाढ़ मैदान झील है। यह गंगा नदी के बाढ़ मैदान में ऑक्स-बॉव झील है। जय प्रकाश नारायण (सूरहा ताल) पक्षी अभयारण्य का क्षेत्र 34.329 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है;

और, पक्षी अभयारण्य में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीव जन्तुओं के लिए बहुत अच्छा वास है। नेस्टिंग और फीडिंग वास की उपलब्धता के कारण पक्षी अक्सर यहां आते रहते हैं। यह *बोसेलैफस ट्रेगोकैमेलस* (पलास, 1766), नीलगाय या ब्लू बुल; *कैनस ऑरियस*, एशियाई जैकल; *लेपस निग्रिकोलिस*, भारतीय खरगोश; *मेलिवोरा कैपेंसिस*, हनी बेजर; *प्राइनायलुरस विवरिनस*, फिशिंग कैट; *हेपेस्टिस एडवाइसी*, ग्रे नेवला/सामान्य नेवला; *वुलपस बंगालेंसिस* बंगाल लोमड़ी; *फ्रनामबुलस पेन्नानटी*, फाइव-स्ट्रीप्ड पाम गिलहरी; *हाइरिट्रिक्स इंडिका*, भारतीय क्रास्टेड साही; *हरडेला थरजी*, क्राउनड नदी कछुए; *बेटागुर ढोंगोका*, श्री-स्ट्रीप्ड रुफ कछुए; *मोरेनिया पेटर्सी*, भारतीय आईड कछुए; *बेटागुर कचुगा*, बंगाल रूफ कछुए/रेड-क्राउनड रुफ कछुए; *पंगशुरा स्मिथी*, ब्राउन रुफड कछुए; *पंगशुरा टेक्टा*, भारतीय रुफड कछुए; *पंगशुरा टेंटोरिया टेंटोरिया*, भारतीय तम्बू कछुए; *पंगशुर टेंटोरिया सरकुमडाटा*, भारतीय तम्बू कछुए; *जिओक्लेमी हैमिल्टोनी*, स्पॉटेड तालाब कछुए; *मेलानोकेलीस त्रिकारिनाटा*, श्री किल्ड लैंड कछुआ; *मेलानोसीलीस त्रिजुगा त्रिजुगा*, भारतीय काले कछुए; *लिसेमीस पंकटाटा पंकटाटा*, दक्षिणी भारतीय फ्लैस्सेल कछुए; *लेस्सेमीस पंकटाटा और एंड्रॉसोनी*, दक्षिणी भारतीय फ्लैसल कछुए; *चित्रा इंडिका*, भारतीय नैरो-हेडेड सॉफ्टशेल कछुए; *निल्सोनिया गेंगेटिका*, इंडियन सोफटेल कछुए; *निल्सोनिया हरुम*, पीकॉक सॉफ्ट-शेल्ड कछुए; *पायथन मोलूरस*, रॉक पायथन; *नाजा नाजा*, स्पेक्टेक्लेड कोबरा; *वारानस बेंगलेंसिस*, बंगाल मॉनिटर; आदि का वास है। पक्षी अभयारण्य पक्षी प्रजातियों की बृहत् संख्या है जैसे *एंटीगोन एंटीगोन*, सरस क्रेन; *बुबुलकस इबिस*, कैटल एग्रेट; *एग्रेटा गेर्जेटा*, लिटिल एग्रेट; *आर्डिया इंटरमीडिया*, इंटरमीडिएट एग्रेट; *पावो क्रिस्टेटस*, पीफ़ोवल; *आर्डे सिनेरिया*, ग्रे बगुला; *कोल्मबा लीविया*, रॉक कबूतर; *ट्रेरोन फोनीकॉप्टेरा* येलो-लेग्ड ग्रीन-कबूतर; *एसिडोथेरेस फस्कस*, जंगल मैना; *एसिडोथेरेस ट्रिस्टिस*, सामान्य मैना; *एसिडोथेरेस गिंगिनियमियस*, बैंक मैना; *एसिडोथेरेस फेस्कस*, जंगल मैना आदि। अभयारण्य में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को देखा जाता है जैसे *नेट्टा रूफिना*, रेड-क्रेस्टेड पोचार्ड; *एनास्टोमस ऑस्सिटान्स*, एशियन ओपनबिल-स्टोर्क; *कॉकोनिया एपिस्कोपस*, एशियन वूलीनेक; *आर्डे सिनेरिया*, ग्रे बगुला; *अर्डे पूरपुरेया*, बेंगनी बगुला; *आर्डेला ग्रेयी*, भारतीय तालाब बगुला; *नाक्टीकोरैक्स नाक्टीकोरैक्स*, ब्लैक क्राउन्ड नाइट बगुला आदि;

**और**, जय प्रकाश नारायण (सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दृष्टि से संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है;

**और**, जय प्रकाश नारायण (सूरहा ताल) पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा-1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण की दृष्टि से उपरोक्त संरक्षित क्षेत्र के आनुवंशिक संसाधनों के सुधार और संरक्षण, स्थानीय प्रजातियों की बहाली, पर्यावरण शिक्षा और पारिस्थितिकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लक्ष्य से पर्यावास प्रबंधन द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और

संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों का संचालन तथा निषिद्ध करना आवश्यक है ;

**अतः**, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में जय प्रकाश नारायण (सूरहा ताल) पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को जय प्रकाश नारायण (सूरहा ताल) पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

### 1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-

- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जय प्रकाश नारायण (सूरहा ताल) पक्षी अभयारण्य (25° 50' 31.08" उ अक्षांश 84° 10' 30.75" पू देशांतर) की सीमा से 1 किलोमीटर के क्षेत्र तक 27.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
- (2) जय प्रकाश नारायण (सूरहा ताल) पक्षी अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** में दिया गया है।
- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र उसकी सीमाओं के ब्यौरे तथा अक्षांशों एवं देशांतरों के साथ, **उपाबंध II क-ग** के रूप में संलग्न है।
- (4) जय प्रकाश नारायण (सूरहा ताल) पक्षी अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक **उपाबंध III क और ख** में दिये गये हैं।
- (5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले पांच ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न हैं।

### 2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना :-

- (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, तथा इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का अनुपालन करके राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
- (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी।
- (3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी सरोकारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;

- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज; और
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी प्रकार की अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों की बेहतर की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल बन सकें।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, की व्यवस्था की जाएगी।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकारों और किस्मों, आदिवासी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों, नमभूमियों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महा-योजना से संबंधित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में पैरा 4 सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) आंचलिक महायोजना के अन्तर्गत पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जायेगा तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित किया जायेगा।

(10) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने की दृष्टि से मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

**3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

**(1) भू-उपयोग:**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्को और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलेक्स औद्योगिक क्रियाकलापों के क्षेत्रों के रूप में उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा 4 में वर्णित क्रियाकलाप:

(ग) परंतु यह भी कि राज्य सरकार के अन्य प्रासंगिक नियमों तथा विनियमों एवं क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि अनुज्ञात नहीं :

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

(ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(च) अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावास- बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

**(2) प्राकृतिक जल स्रोत** -- सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी। इन क्षेत्रों में या आसपास के क्षेत्रों में प्रतिषिद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकार द्वारा सख्त दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

**(3) पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन:**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार की जायेगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इसमें जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1.0 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और रिसॉर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित एवं अभीहित क्षेत्रों में अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल/रिसॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण की उपयुक्त योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों, तथा ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा उन्हे आंचलिक महायोजना में शामिल किया जाएगा।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण, संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हो, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्ट का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा: -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। गैर-जैविक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकता है

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा :—

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकता है।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन**: - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन**: - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट**: - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय-समय पर संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **वाहन-यातायात**: - वाहन-यातायात का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण**: - वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी, आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:** - (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण:** - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं होगी।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है, उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :--

### सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं, जिनमें घर के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन की खुदाई और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाना शामिल है, को छोड़कर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती है ;  (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सी) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।



2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी। जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिल स्थापित करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
4.	बड़ी जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	ईट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
<b>ख. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
9.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

		<p>(क) परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी जैसे कि :-</p> <p>(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;</p> <p>(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;</p> <p>(iii) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग, सुविधा भण्डार और ग्रह वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाएं ; और</p> <p>(iv) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध और बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप ।</p>
11.	वृक्षों की कटाई ।	<p>(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी ।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।</p>
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
16.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।

17.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति होगी परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण ।	लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जाएगा।
19.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
20.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
21.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
22.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
26.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	इसकी व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
27.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	वायु (ध्वनि सहित) और वाहन जनित प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	वनस्पतिक बाड़ लगाना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	अवक्रमित भूमि/वनों या वास-स्थलों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

**5. निगरानी समिति.-** केंद्रीय सरकार, इस अधिसूचना के जारी होने के तीन माह के भीतर, एक निगरानी समिति गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:-

1.	जिला मजिस्ट्रेट, बलिया	-अध्यक्ष;
2.	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बलिया	-सदस्य;
3.	पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
4.	राज्य सरकार द्वारा नामित वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
5.	पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता, बलिया	-सदस्य;
6.	प्रतिष्ठित संस्था या राज्य के विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी का एक विशेषज्ञ	-सदस्य;
7.	जैव विविधता विशेषज्ञ	-सदस्य;
8.	सिंचाई विभाग, बलिया का कार्यकारी अभियंता	-सदस्य;
9.	जिला कृषि अधिकारी, बलिया	-सदस्य;

10.	वन्यजीव वार्डन, काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी	-सदस्य;
11.	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला बलिया	-सदस्य;
12.	संभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी विभाग, बलिया	-सदस्य सचिव।

## 6. विचारार्थ विषय:-

- (1) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुनः गठन किए जाये तक होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
  - (2) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
  - (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल तथा इस अधिसूचना के पैरा-4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले क्रियाकलापों की, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और मामले को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा।
  - (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं किए गए क्रियाकलापों, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक स्थल-विशिष्ट के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और मामले को संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।
  - (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।
  - (6) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए, आमंत्रित कर सकेगी।
  - (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
  - (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे।
7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले किसी आदेश, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

[फा.सं.25/38/2017-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

**उपाबंध I**

### संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन एवं संरक्षित क्षेत्र की सीमा का विवरण

जय प्रकाश नारायण (सूरहा ताल) पक्षी अभयारण्य से, बलिया पारिस्थितिकी संवेदी जोन के एक किलोमीटर अभयारण्य के चारों ओर के आरंभिक बिंदु है-

**उत्तर:** पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा कथवली ग्राम के उ 25°52'21.60" पू 84°10 05640 से आरंभ होती है और उत्तर पूर्व दिशा में जाकर सिद्धौली ग्राम के जीपीएस बिंदु उ 25. 522202 पू 84-104404 पर पहुँचती है और इसके बाद रेखा उत्तर-पूर्व दिशा में जाकर जयीयापुरा ग्राम के जीपीएस बिंदु उ 25.515658 पू 84-111152 पर पहुँचती है और पुनः उत्तर-पूर्व दिशा में जाकर मरीतर ग्राम के जीपीएस बिंदु उ 25.513474 पू 84.114830 पर पहुँचती है।


**पूर्व:** बिंदु के ऊपर से रेखा सिद्धौली अनकंतपुर ग्राम के जीपीएस बिंदु उ 25.510492 पू 84-121872 के साथ दक्षिण की ओर जाती है और राजपुर ग्राम के जीपीएस बिंदु उ 25. 505388 पू 84-123114 पर पहुँचती है और फिर रेखा अवनलनाथ ग्राम की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा से होते हुए जीपीएस बिंदु उ 25.503972 पू 84-123258 की ओर जाती है। इसके बाद रेखा बदरी ग्राम के जीपीएस बिंदु उ 25.502340 पू 84-125988 के साथ जाती है। इस बिंदु से रेखा नारायणपुर ग्राम की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा के जीपीएस बिंदु उ 25.501130 पू 84-125922 के साथ जाती है।

**दक्षिण:** बिंदु के ऊपर से सीमा सहोदीह ग्राम के जीपीएस बिंदु उ 25.495226 पू 84-125304 के साथ दक्षिण में जाती है। यह फुलवरिया ग्राम के जीपीएस बिंदु उ 25.491080 पू 84-122718 पर पहुँचती है। इसके बाद सीमा बभानौली, घघरौली, दुमरी, सरायन, सोनपुर कला और सोनपुर खुर्द ग्रामों के जीपीएस बिंदु उ 25.483288 पू 84-121656, उ 25.482826 पू 84-115742, उ 25.482706 पू 84-114710, उ 25.482430 पू 84-110954, उ 25.481398 पू 84-104980, एवं उ 25.482094 पू 84-110294 उ से होते हुए जाती है। इसके बाद सीमा दुबौली ग्राम के जीपीएस बिंदु उ 25.482748 पू 84-103024 के दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर पारसपुर, सलेमपुर, वसदेवपुर, भीमपुर, सरीपुर ग्रामों के जीपीएस बिंदु उ 25.484410 पू 84-100876, उ 25.484200 पू 84-101434, उ 25.484806 पू 84-094566, उ 25.483270 पू 84-094182 तक पहुँचती है।

**पश्चिम:** बिंदु के ऊपर से सीमा ओझावलिया ग्राम के जीपीएस बिंदु उ 25.483240 पू 84-084872 के दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है और पश्चिम दिशा में जाकर यह बसंतपुर ग्राम के जीपीएस बिंदु उ 25.500234 पू 84-075586 पर पहुँचती है और इसके बाद यह रेखा पश्चिम उत्तर दिशा में जाकर शिवेपुर ग्राम के जीपीएस बिंदु उ 25. 511920 पू 84-082130 पर पहुँचती है और इसके बाद पुनः पश्चिम-उत्तर दिशा में जाकर सूर्यपुर ग्राम के जीपीएस बिंदु उ 25.514806 पू 84.060744 पर पहुँचती है। इसके बाद यह रेखा देलहुआ ग्राम के जीपीएस बिंदु उ 25.521308 पू 84-092190 के साथ जाती है। इसके बाद अंतर्राज्यीय सीमा के साथ जाकर यह आरंभिक बिंदु तक पहुँचती है।

उपाबंध-II-क

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र






उपाबंध-II-ख

मुख्य बिंदुओं और भू-निर्देशांकों के साथ जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र


Protected Area & Eco Sensitive Zone Map of Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary, Ballia, Uttar Pradesh





उपाबंध-II-ग

अक्षांश और देशांतर और भूमि उपयोग पैटर्न के साथ संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



**उपाबंध-III****क : मानचित्र में दर्शाये गए संरक्षित क्षेत्र की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर**

जय प्रकाश नारायण (सूरहा ताल) पक्षी अभयारण्य के जीपीएस निर्देशांक		
जीपीएस बिंदु कोड	अक्षांश	देशांतर
एस1	25°51'59.589" उ	84°10'5.598" पू
एस2	25°51'40.396" उ	84°11'28.327" पू
एस3	25°50'49.047" उ	84°12'23.646" पू
एस4	25°50'2.175" उ	84°12'49.223" पू
एस5	25°49'58.023" उ	84°12'5.460" पू
एस6	25°49'2.094" उ	84°12'8.891" पू
एस7	25°48'57.066" उ	84°10'33.107" पू
एस8	25°48'46.350" उ	84°9'24.942" पू
एस9	25°48'33.002" उ	84°8'33.181" पू
एस10	25°49'51.016" उ	84°8'18.892" पू
एस11	25°51'6.926" उ	84°8'37.232" पू

**ख : मानचित्र में दर्शाये गए संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर**

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के जीपीएस निर्देशांक		
जीपीएस बिंदु कोड	अक्षांश	देशांतर
ई12	25°52'10.825" उ	84°8'49.668" पू
ई13	25°52'26.457" उ	84°10'52.806" पू
ई14	25°51'35.902" उ	84°12'29.113" पू
ई15	25°50'32.274" उ	84°13'24.917" पू
ई16	25°49'14.272" उ	84°12'46.370" पू
ई17	25°48'18.767" उ	84°11'22.596" पू

ई18	25°48'30.299" उ	84°9'58.533" पू
ई19	25°48'12.062" उ	84°9'6.579" पू
ई20	25°49'12.521" उ	84°7'55.474" पू
ई21	25°50'45.905" उ	84°7'48.859" पू

## उपाबंध IV

## पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची, भू-निर्देशांकों सहित

ग्राम जीपीएस कोड	ग्राम के नाम	अक्षांश	देशांतर
क.	अनकंतपुर	25° 51' 7.920" उ	84° 12' 18.720" पू
ख.	बभनौली	25° 48' 32.879" उ	84° 12' 16.560" पू
ग.	बदरी	25° 50' 23.399" उ	84° 12' 59.879" पू
घ.	बसंतपुर	25° 50' 2.339" उ	84° 7' 55.859" पू
ङ.	भीमपुर	25° 48' 50.760" उ	84° 9' 58.079" पू
च.	देलहुआ	25° 52' 13.080" उ	84° 9' 21.899" पू
छ.	धीनपुर	25° 48' 50.040" उ	84° 9' 51.239" पू
ज.	दुबौली	25° 48' 27.479" उ	84° 10' 30.241" पू
झ.	दुमरी	25° 48' 27.061" उ	84° 11' 47.101" पू
ञ.	फुलवरिया	25° 49' 10.801" उ	84° 12' 27.180" पू
ट.	घघरौली	25° 48' 28.260" उ	84° 11' 57.419" पू
ठ.	जजीयापुर	25° 51' 56.581" उ	84° 11' 11.519" पू
ड.	कैथवली	25° 52' 21.601" उ	84° 10' 5.639" पू
ढ.	मरीतर	25° 51' 34.740" उ	84° 11' 48.300" पू
ण.	नारायणपुर	25° 50' 11.101" उ	84° 12' 59.220" पू
त.	ओझवलिया	25° 48' 32.400" उ	84° 8' 48.721" पू
थ.	पारसपुर	25° 48' 44.100" उ	84° 10' 8.760" पू

द.	राजपुर	25° 50' 53.880" उ	84° 12' 31.140" पू
ध.	सहोदीह	25° 49' 52.259" उ	84° 12' 53.039" पू
न.	सलेमपुर	25° 48' 42.001" उ	84° 10' 14.340" पू
प.	सारायन	25° 48' 24.300" उ	84° 11' 9.539" पू
फ.	शिवपुर	25° 51' 19.199" उ	84° 8' 21.300" पू
ब.	सिधौली	25° 52' 22.019" उ	84° 10' 44.040" पू
भ.	सरीपुर	25° 48' 32.699" उ	84° 9' 41.821" पू
म.	सुर्यपुरा	25° 51' 48.060" उ	84° 9' 7.441" पू
य.	वासदेवपुर	25° 48' 48.060" उ	84° 9' 45.659" पू
क1	हनुमानगंज	25° 48' 5.996" उ	84° 8' 21.253" पू
ख1	बरहमाइन	25° 48' 18.666" उ	84° 8' 23.485" पू
ग1	पारसपुर	25° 48' 32.182" उ	84° 10' 11.116" पू
घ1	जैनपथ	25° 49' 49.924" उ	84° 13' 18.574" पू

### उपाबंध V

#### पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**New Delhi, the 30<sup>th</sup> January, 2018

**S.O. 480(E).**— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in)

**Draft Notification**

**WHEREAS, Jai Prakash Narayan (Surahatal) Bird Sanctuary** is about 10 kilometres from the district head quarter Ballia in the State of Uttar Pradesh. Suraha Tal Lake is the largest floodplain lake in Ballia District of eastern Uttar Pradesh. It is an ox-bow lake in the floodplain of river Ganga. The Jai Prakash Narayan (Surahatal) Bird Sanctuary is spread over an area of 34.329 square kilometres.

**AND WHEREAS,** The bird sanctuary offers good habitat for a variety of flora and fauna. Birds are known to arrive here frequently due to the availability of nesting and feeding habitats. It is habitat of *Boselaphus tragocamelus* (Pallas, 1766), Nilgai or Blue Bull; *Canis aureus*, Asiatic Jackal; *Lepus nigricollis*, Indian Hare; *Mellivora capensis*, Honey Badger; *Prionailurus viverrinus*, Fishing Cat; *Herpestes edwardsii*, Grey Mongoose/Common mongoose; *Vulpes bengalensis* Bengal Fox; *Funambulus pennantii*, Five-striped Palm Squirrel; *Hystrix indica*, Indian Crested Porcupine; *Hardella thurjii*, Crowned River Turtle; *Batagur dhongoka*, Three-striped Roofed Turtle; *Morenia petersi*, Indian Eyed Turtle; *Batagur kachuga*, Bengal Roof Turtle/ Red-crowned Roofed turtle; *Pangshura smithii*, Brown Roofed Turtle; *Pangshura tecta*, Indian Roofed Turtle; *Pangshura tentoria tentoria*, Indian Tent Turtle; *Pangshura tentoria circumdata*, Indian Tent Turtle; *Geoclemys hamiltonii*, Spotted pond turtle; *Melanochelys tricarinata*, Three keeled land Tortoise; *Melanochelys trijuga trijuga*, Indian Black Turtle; *Lissemys punctata punctata*, Southern Indian Flapshell Turtle; *Lissemys punctata andersonii*, Southern Indian Flapshell Turtle; *Chitra indica*, Indian Narrow-headed softshell turtle; *Nilssonina gangetica*, Indian softshell Turtle; *Nilssonina hurum*, Peacock soft-shelled turtle; *Python molurus*, Rock python; *Naja naja*, Spectacled Cobra; *Varanus bengalensis*, Bengal monitor; etc. The bird sanctuary is also rich in large number bird species such as *Antigone antigone*, Sarus Crane; *Bubulcus ibis*, Cattle Egret; *Egretta garzetta*, Little Egret; *Ardea intermedia*, Intermediate Egret; *Pavo cristatus*, Peafowl; *Ardea cinerea*, Grey Heron; *Columba livia*, Rock Pigeon; *Treron phoenicoptera* Yellow-legged

Green-Pigeon; *Acridotheres fuscus*, Jungle Myna; *Acridotheres tristis*, Common Myna; *Acridotheres ginginianus*, Bank Myna; *Acridotheres fuscus*, Jungle Myna etc. The sanctuary is also visited by large number of migratory species of birds such as *Netta rufina*, Red-crested Pochard; *Anastomus oscitans*, Asian Openbill-Stork; *Ciconia episcopus*, Asian Woollyneck; *Ardea cinerea* Grey Heron; *Ardea purpurea*, Purple Heron; *Ardeola grayii*. Indian Pond Heron; *Nycticorax nycticorax*, Black-crowned Night Heron etc.

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area up to one kilometre from the boundary of the protected area of Jai Prakash Narayan (Surahatal) Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view.

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Jai Prakash Narayan (Suhatal) Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view by habitat management aiming at improving and preserving the genetic resources of above protected area, reintroduction and rehabilitation of local species, promotion of environmental education and ecological research and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

**NOW THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area up to one kilometre from the boundary of the protected area of Jai Prakash Narayan (Surahatal) Bird Sanctuary, district Ballia in the state of Uttar Pradesh, as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Eco-sensitive Zone), namely.

#### **1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-**

- (1) The said Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 27.00 square kilometres extended between the area up to **one kilometre** from the boundary of Jai Prakash Narayan (Surahatal) Bird Sanctuary (25° 50' 31.08" N Latitude 84° 10' 30.75" E Longitude) situated in the Ballia district of Uttar Pradesh.
- (2) The boundary description of Jai Prakash Narayan (Surahatal) Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure- I**.
- (3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure- II A- C**.
- (4) The Geo-coordinates of Jai Prakash Naryayan (Surhatal) Bird Sanctuary and its Eco-sensitive zone is given in **Annexure III-A and B**.
- (5) The list of five villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure- IV**.

#### **2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-**

- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-
- (i) Environment;
  - (ii) Forest and Wildlife;
  - (iii) Agriculture;
  - (iv) Revenue;
  - (v) Urban Development;
  - (vi) Tourism;
  - (vii) Rural Development;
  - (viii) Irrigation and Flood Control;
  - (ix) Municipal ;
  - (x) Panchayati Raj; and
  - (xi) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

**3. Measures to be taken by the State Government** - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

**(1) Land use. –**

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small-scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities and given in paragraph 4:

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

**(2) Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.



**(3) Tourism/ Eco-tourism**

- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
  - (i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
  - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
  - (iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

**(4) Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

**(5) Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

**(6) Noise pollution. -** Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

**(7) Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

**(8) Discharge of effluents. -** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the

Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

**(9) Solid wastes.** - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

- (a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

**(10) Bio-medical waste.** – Bio medical waste management shall be as under:

- (a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

**(11) Plastic Waste Management.** - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.

**(12) Construction and Demolition Waste Management.** - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.

**(13) E-waste.** - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

**(14) Vehicular traffic.** – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

**(15) Vehicular Pollution.** - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

**(16) Industrial Units.** –

- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

**(17) Protection of Hill Slopes.** - The protection of hill slopes shall be as under:

- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
- (b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

**4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-**

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

**TABLE**

S. N.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
<b>A. Prohibited Activities:</b>		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities.  (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 4 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted.

		Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
4.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
<b>B. Regulated Activities:</b>		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities.  Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:  (a) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Cottage industries including village industries; convenience stores & local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (iv) Promoted activities listed in this Notification.
11.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.

		(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws
14.	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated under applicable law.
15.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
17.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of Hill Slopes and river banks	Regulated under applicable laws
22.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
25.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.
26.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
27.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws
28.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws
29.	Air (including noise) and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.

<b>C. Promoted Activities:</b>		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy and fuels	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Vegetative fencing	Permitted under applicable laws.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Agro-Forestry	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of Horticulture and Herbals	Shall be actively promoted
38.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat	Shall be actively promoted.
41.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

**5. Monitoring Committee.-** The Central Government within three months of this Notification, constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of the final notification, comprising of the following, namely:-

1.	District Magistrate, Ballia	Chairman
2.	Superintendent of Police/ Senior Superintendent of Police, Ballia	Member
3.	A representative of Ministry of Environment and Forest, Government of India	Member
4.	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member
5.	Executive Engineer of PWD, Ballia	Member
6.	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member
7.	Expert Biodiversity	Member
8.	Executive Engineer of Irrigation Department, Ballia	Member
9.	District Agriculture Officer, Ballia	Member
10.	Wildlife Warden, Kashi Wildlife Divison, Ramnagar, Varanasi	Member
11.	Regional Officer, Uttar Pradesh State Pollution Control Board, District Ballia	Member
12.	Divisional Director, Social Forestry Division, Ballia	Member Secretary

**6. Terms of Reference. –**

- (1) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/38/2017-ESZ]

LALIT KAPUR , Scientist 'G'

**ANNEXURE- I**

**BOUNDARY DESCRIPTION OF THE PROTECTED AREA & ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA**

For Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary, Ballia ESZ of 1 Km has been proposed all around the sanctuary the starting point-

**North:** The Boundary of eco-sensitive zone starts at N 25°52'21.60" E 84°10'05.640 on Kathwali village and runs on north-east direction till it reaches the village Sidhauili at the GPS point N 25.522202 E 84.104404 and further the line runs on north-east direction till it reaches the village Jayiyapura at the GPS point N 25.515658 E 84.111152 and further continues runs on north-east direction till it reaches the village Maritar at the GPS point N 25.513474 E 84.114830.

**East:** From the above point the lines runs southwards along the village Sidhauili Ankantpur at the GPS point N 25.510492 E 84.121872 till it reaches the point of the village Rajpur at the GPS point N 25.505388 E 84.123114 and further the lines runs on northern & eastern boundary of Awanlnath village through the GPS point N 25.503972 E 84.123258. Then lines runs along with village Badari at the GPS point N 25.502340 E 84.125988. From this point the lines runs along the eastern & southern boundary of the village Narayanpur at the GPS point N 25.501130 E 84.125922.


**South:** From the above point the boundary runs south along the village Sahodih at the GPS point N 25.495226 E 84.125304 till it reaches the point of the village Fulwaria at the GPS point N 25.491080 E 84.122718. Further boundary runs through the villages Babhanauli, Ghagharauli, Dumari, Sarayan, Sonpur Kala & Sonpur Khurd the GPS point N 25.483288 E 84.121656, N 25.482826 E 84.115742, N 25.482706 E 84.114710, N 25.482430 E 84.110954, N 25.481398 E 84.104980, & N 25.482094 E 84.110294. Then further boundary runs Southwest direction of the village Dubauli at the GPS point N 25.482748 E 84.103024 till it reaches the point of the village Paraspur, Salempur, Vasdevpur, Bhimpur, Sripur respective the GPS point N 25.484410 E 84.100876, N 25.484200 E 84.101434, N 25.484806 E 84.094566, N 25.483270 E 84.094182.

**West:** From the above point the boundary runs South-west direction at village Ojhawaliya at the GPS point N 25.483240 E 84.084872 and runs on West direction till it reaches the village Basantpur at the GPS point N 25.500234 E 84.075586 and further the line runs on West-North direction till it reaches the village Shivepur at the GPS point N 25.511920 E 84.082130 and further continues runs on West-North direction till it reaches the village Suryapura at the GPS point N 25.514806 E 84.060744. Then lines run along with village Delhuuaa at the GPS point N 25.521308 E 84.092190. Then runs all along the interstate boundary till it reaches the starting point.



**ANNEXURE-II-A**

**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET**



GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude
S1	25° 51' 59.589" N	84° 10' 4.598" E	S7	25° 48' 57.066" N	84° 10' 33.107" E	E12	25° 52' 10.884° 8' 49.66	E17	25° 48' 18.784° 11' 22.596" E		
S2	25° 51' 40.396" N	84° 11' 28.327" E	S8	25° 48' 46.350" N	84° 9' 24.942" E	E13	25° 52' 26.484° 10' 52.8	E18	25° 48' 30.284° 9' 58.533" E		
S3	25° 50' 49.047" N	84° 12' 23.646" E	S9	25° 48' 33.002" N	84° 8' 33.181" E	E14	25° 51' 35.984° 12' 29.1	E19	25° 48' 12.084° 9' 6.579" E		
S4	25° 50' 2.175" N	84° 12' 49.223" E	S10	25° 49' 51.016" N	84° 8' 18.892" E	E15	25° 50' 32.284° 13' 24.9	E20	25° 49' 12.584° 7' 55.474" E		
S5	25° 49' 58.023" N	84° 12' 5.460" E	S11	25° 51' 6.926" N	84° 8' 37.232" E	E16	25° 49' 14.284° 12' 46.3	E21	25° 50' 45.984° 7' 48.859" E		
S6	25° 49' 2.094" N	84° 12' 8.891" E									


Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude	Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude	Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude
a	Ankantpur	25° 51' 7.920" N	84° 12' 18.720" E	k	Ghagharauli	25° 48' 28.260" N	84° 11' 57.419" E	u	Sanyan	25° 48' 24.300" N	84° 11' 9.539" E
b	Babhanauli	25° 48' 32.879" N	84° 12' 16.560" E	l	Jajiyapur	25° 51' 56.581" N	84° 11' 11.519" E	v	Shivpur	25° 51' 19.199" N	84° 8' 21.300" E
c	Badari	25° 50' 23.399" N	84° 12' 59.879" E	m	Kaithwali	25° 52' 21.601" N	84° 10' 5.639" E	w	Sidhauli	25° 52' 22.019" N	84° 10' 44.040" E
d	Basantpur	25° 50' 2.339" N	84° 7' 55.859" E	n	Maritar	25° 51' 34.740" N	84° 11' 48.300" E	x	Sripur	25° 48' 32.699" N	84° 9' 41.821" E
e	Bhimpur	25° 48' 50.760" N	84° 9' 58.079" E	o	Namyanpur	25° 50' 11.101" N	84° 12' 59.220" E	y	Suryapur	25° 51' 48.060" N	84° 9' 7.441" E
f	Delhua	25° 52' 13.080" N	84° 9' 21.899" E	p	Ojhawaliya	25° 48' 32.400" N	84° 8' 48.721" E	z	Vasdevpur	25° 48' 48.060" N	84° 9' 45.659" E
g	Dhyinpur	25° 48' 50.040" N	84° 9' 51.239" E	q	Paraspur	25° 48' 44.100" N	84° 10' 8.760" E	a1	Hanumanganj	25° 48' 5.996" N	84° 8' 21.253" E
h	Dubauli	25° 48' 27.479" N	84° 10' 30.241" E	r	Rajpur	25° 50' 53.880" N	84° 12' 31.140" E	b1	Barhmain	25° 48' 18.666" N	84° 8' 23.485" E
i	Dumari	25° 48' 27.061" N	84° 11' 47.101" E	s	Sahodih	25° 49' 52.259" N	84° 12' 53.039" E	c1	Paraspur	25° 48' 32.182" N	84° 10' 11.116" E
j	Fulwaria	25° 49' 10.801" N	84° 12' 27.180" E	t	Salampur	25° 48' 42.001" N	84° 10' 14.340" E	d1	Jainhpath	25° 49' 49.924" N	84° 13' 18.574" E



**ANNEXURE- II B**

**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JAI PRAKASH NARAYAN BIRD SANCTUARY ALONG WITH PROMINENT POINTS AND GEO-COORDINATES**

Protected Area & Eco Sensitive Zone Map of Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary, Ballia, Uttar Pradesh




GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude
S1	25° 51' 59.589" N	84° 10' 4.598" E	S7	25° 48' 57.066" N	84° 10' 33.107" E	E12	25° 52' 10.884° 8' 49.666	E17	25° 48' 18.784° 11' 22.596" E		
S2	25° 51' 40.396" N	84° 11' 28.327" E	S8	25° 48' 46.350" N	84° 9' 24.942" E	E13	25° 52' 26.484° 10' 52.8	E18	25° 48' 30.284° 9' 58.533" E		
S3	25° 50' 49.047" N	84° 12' 23.646" E	S9	25° 48' 33.002" N	84° 8' 33.181" E	E14	25° 51' 35.984° 12' 29.1	E19	25° 48' 12.084° 9' 6.579" E		
S4	25° 50' 2.175" N	84° 12' 49.223" E	S10	25° 49' 51.016" N	84° 8' 18.892" E	E15	25° 50' 32.284° 13' 24.9	E20	25° 49' 12.584° 7' 55.474" E		
S5	25° 49' 58.023" N	84° 12' 5.460" E	S11	25° 51' 6.926" N	84° 8' 37.232" E	E16	25° 49' 14.284° 12' 46.3	E21	25° 50' 45.984° 7' 48.859" E		
S6	25° 49' 2.094" N	84° 12' 8.891" E									

Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude	Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude	Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude
a	Ankantpur	25° 51' 7.920" N	84° 12' 18.720" E	k	Ghagharnauli	25° 48' 28.260" N	84° 11' 57.419" E	u	Sarayan	25° 48' 24.300" N	84° 11' 9.539" E
b	Babhannauli	25° 48' 32.879" N	84° 12' 16.560" E	l	Jajyapur	25° 51' 56.581" N	84° 11' 11.519" E	v	Shirpur	25° 51' 19.199" N	84° 8' 21.300" E
c	Badari	25° 50' 23.399" N	84° 12' 59.879" E	m	Kaithwali	25° 52' 21.601" N	84° 10' 5.639" E	w	Sidhauli	25° 52' 22.019" N	84° 10' 44.040" E
d	Basantpur	25° 50' 2.339" N	84° 7' 55.859" E	n	Maritar	25° 51' 34.740" N	84° 11' 48.300" E	x	Sripur	25° 48' 32.699" N	84° 9' 41.821" E
e	Bhampur	25° 48' 50.760" N	84° 9' 58.079" E	o	Narayanpur	25° 50' 11.101" N	84° 12' 59.220" E	y	Suryapura	25° 51' 48.060" N	84° 9' 7.441" E
f	Delhuua	25° 52' 13.080" N	84° 9' 21.899" E	p	Ojhawalya	25° 48' 32.400" N	84° 8' 48.721" E	z	Vasdevpur	25° 48' 48.060" N	84° 9' 45.659" E
g	Dhyinpur	25° 48' 50.040" N	84° 9' 51.239" E	q	Paraspur	25° 48' 44.100" N	84° 10' 8.760" E	al	Hanumanganj	25° 48' 5.996" N	84° 8' 21.253" E
h	Dubauli	25° 48' 27.479" N	84° 10' 30.241" E	r	Rajpur	25° 50' 53.880" N	84° 12' 31.140" E	bl	Barhmain	25° 48' 18.666" N	84° 8' 23.485" E
i	Dumari	25° 48' 27.061" N	84° 11' 47.101" E	s	Sahodih	25° 49' 52.259" N	84° 12' 53.039" E	cl	Paraspur	25° 48' 32.182" N	84° 10' 11.116" E
j	Fulwaria	25° 49' 10.801" N	84° 12' 27.180" E	t	Salempur	25° 48' 42.001" N	84° 10' 14.340" E	dl	Jainpath	25° 49' 49.924" N	84° 13' 18.574" E

**ANNEXURE- II C**

**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE AND LAND USE PATTERN**



**ANNEXURE-III****A: Latitude-Longitude of Prominent Locations along the boundary of the Protected Area shown on Map**

<b>GPS Coordinates of Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary</b>		
<b>GPS Point Code</b>	<b>Latitude</b>	<b>Longitude</b>
S1	25°51'59.589" N	84°10'5.598" E
S2	25°51'40.396" N	84°11'28.327" E
S3	25°50'49.047" N	84°12'23.646" E
S4	25°50'2.175" N	84°12'49.223" E
S5	25°49'58.023" N	84°12'5.460" E
S6	25°49'2.094" N	84°12'8.891" E
S7	25°48'57.066" N	84°10'33.107" E
S8	25°48'46.350" N	84°9'24.942" E
S9	25°48'33.002" N	84°8'33.181" E
S10	25°49'51.016" N	84°8'18.892" E
S11	25°51'6.926" N	84°8'37.232" E

**B: Latitude-Longitude of Prominent Locations along the boundary of Eco-sensitive Zone of the Protected Area shown on Map**

<b>GPS Coordinates of Eco Sensitive Zone</b>		
<b>GPS Point Code</b>	<b>Latitude</b>	<b>Longitude</b>
E12	25°52'10.825" N	84°8'49.668" E
E13	25°52'26.457" N	84°10'52.806" E
E14	25°51'35.902" N	84°12'29.113" E
E15	25°50'32.274" N	84°13'24.917" E
E16	25°49'14.272" N	84°12'46.370" E
E17	25°48'18.767" N	84°11'22.596" E
E18	25°48'30.299" N	84°9'58.533" E
E19	25°48'12.062" N	84°9'6.579" E
E20	25°49'12.521" N	84°7'55.474" E
E21	25°50'45.905" N	84°7'48.859" E

## ANNEXURE-IV

**List of Villages falling within the Eco-sensitive Zone along with Geo-coordinates**

Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude
a.	Ankantpur	25° 51' 7.920" N	84° 12' 18.720" E
b.	Babhanauli	25° 48' 32.879" N	84° 12' 16.560" E
c.	Badari	25° 50' 23.399" N	84° 12' 59.879" E
d.	Basantpur	25° 50' 2.339" N	84° 7' 55.859" E
e.	Bhimpur	25° 48' 50.760" N	84° 9' 58.079" E
f.	Delhuua	25° 52' 13.080" N	84° 9' 21.899" E
g.	Dhyinpur	25° 48' 50.040" N	84° 9' 51.239" E
h.	Dubauli	25° 48' 27.479" N	84° 10' 30.241" E
i.	Dumari	25° 48' 27.061" N	84° 11' 47.101" E
j.	Fulwaria	25° 49' 10.801" N	84° 12' 27.180" E
k.	Ghagharauli	25° 48' 28.260" N	84° 11' 57.419" E
l.	Jajiyapur	25° 51' 56.581" N	84° 11' 11.519" E
m.	Kaithwali	25° 52' 21.601" N	84° 10' 5.639" E
n.	Maritar	25° 51' 34.740" N	84° 11' 48.300" E
o.	Narayanpur	25° 50' 11.101" N	84° 12' 59.220" E
p.	Ojhawaliya	25° 48' 32.400" N	84° 8' 48.721" E
q.	Paraspur	25° 48' 44.100" N	84° 10' 8.760" E
r.	Rajpur	25° 50' 53.880" N	84° 12' 31.140" E
s.	Sahodih	25° 49' 52.259" N	84° 12' 53.039" E
t.	Salempur	25° 48' 42.001" N	84° 10' 14.340" E
u.	Sarayan	25° 48' 24.300" N	84° 11' 9.539" E
v.	Shivpur	25° 51' 19.199" N	84° 8' 21.300" E
w.	Sidhauli	25° 52' 22.019" N	84° 10' 44.040" E
x.	Sripur	25° 48' 32.699" N	84° 9' 41.821" E
y.	Surypura	25° 51' 48.060" N	84° 9' 7.441" E
z.	Vasdevpur	25° 48' 48.060" N	84° 9' 45.659" E
a1	Hanumanganj	25° 48' 5.996" N	84° 8' 21.253" E
b1	Barhmain	25° 48' 18.666" N	84° 8' 23.485" E
c1	Paraspur	25° 48' 32.182" N	84° 10' 11.116" E
d1	Jainhpath	25° 49' 49.924" N	84° 13' 18.574" E

**Annexure -V****Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan

4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on the face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.  
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.